

जावे। वकील वादी का पेशनाम स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी सं. 3 व 7 का नाम डिलीर किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील वादी ने बहस करनी चाही। वकील वादी की बहस खुली गयी। बहस के दौरान वकील वादी ने वादपत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तुआ की।

पगावली का अपलोकन किया तथा पगावली में सलोन प्रस्तावों का अध्ययन किया। भाषाहित में वकील वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मेजा पटवार हल्का मेजा तहसील मांडल में स्थित हाल आराजी नं. 2793/1019 रकबा कुल 0.2276 हेक्टेयर भूमि में वादी का 5/6 हक हिस्सा शेष हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 लगापत 06 का है एवं इसी प्रकार ग्राम मेजा पटवार हल्का मेजा, तहसील मांडल में स्थित हाल आराजी नं. 1013, 1016, 1017, 1018, कुल रकबा 04 कुल रकबा 0.8221 हेक्टेयर में वादी का 46/195 वां हिस्सा शेष हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 लगापत 06 का है। उक्तानुसार भूमि का मिस्र एण्ड वाउण्डस (अच्छी हो अच्छी बुरी से बुरी) के आधार पर विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार मांडल को प्रारम्भिक डिडी की नकल भिजवाई जावे। वास्ते पगावली में देखने विभाजन प्रस्ताव हेतु प्रशासन गांवो के लोग आश्रितान 2021 केम्प ग्राम पंचायत मेजा में पेश दिनांक 10.12.21 को ले।

10.12.21 पगावली केम्प.....मे.प्रा.....को पेश हुई।
आगामी दिनांक.....04.01.22 को पेश हो।

4-1-22 पगावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित तहसीलदार मांडल से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिले शामिल पगावली दिया गया। विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी ने बहस करनी चाही। बहस खुली गयी। बहस के

दौरान वकील वादी ने वाद पत्र को स्वीकार
किये जाने की इस्तदुआ की।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, तथा वकील
वादी की बहस पर मनन किया, तहसीलदार मोडल
से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी ने
सहमति जताई। न्यायहित में वकील वादी का
वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया
जाता है कि ग्राम मेजा परवार हल्का मेजा
तहसील मोडल में स्थित निम्नोक्ति आराजियात
तहसीलदार मोडल से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव वादी
एवं प्रतिवादीगण 01 लगापत 08 के ग्रहण निम्नांकित
आराजियात का विभाजन कर राजस्व रेकार्ड में
अंकन किये जाने का आदेश दिया जाता है इसी
अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे।

माफिब विभाजन प्रस्ताव
को प्रतिवादी पारित
रही जाये
प्रतिवादी
की
4.1.2022

श्री गिरधारी श. श्री रामा मील निवासी - नारायपुरा
मैन रोड सुरास तहसील - मोडल स्वातेदार

<u>आराजी नं०</u>	<u>रकबा</u>
2793/1019	0.2150

किता 01 रकबा 0.2150 हेक्टेयर

2. श्रीमती गीता D. बालु 1/7, गोडु, छोडू, येमा पारी,
मार्नी पिता बालु ना. वा. माता - चांदी - चांदी पत्नी
बालु 6/7 मील सा. भील्यारखेड़ा त. मोडल स्वातेदार

<u>आराजी नं०</u>	<u>रकबा</u>
2793/1019	0.0126

किता 01 रकबा 0.0126 हेक्टेयर


इक्तानुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही भय इनिशयल्स जज

नम्बर
अहक
हुकम
में

01 लगायत 08 के मध्य तहसीलदार माण्डल
राजस्व रेकार्ड मे अमल द्वाभक करे। तदनुसार
डिडी जारी हो। शर्चा फरिकेन अपना-अपना
वहन करे। पत्रावली फैंसल शुमार होकर
दफ्तर दाखिल हो।


उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

अनवान प्रकरण

श्री गिरधारी ड० श्री रामा भील निवासी - नारायणपुरा मेन रोड सुरास
तहसील - मांडल जिला - भीलवाड़ा [वादी]

लवाम

1. श्रीमती गीता ड० श्री बालू भील निवासी भीलीखेडा तहसील - मांडल
2. श्री गौड ड० श्री बालू भील परिवार संरक्षिका माता श्रीमती चोदी पत्नी बालू
भील निवासी भीलीखेडा तहसील - मांडल
3. श्रीमती चोदी पत्नी श्री बालू भील निवासी भीलीखेडा तहसील - मांडल
4. श्री बालू भील परिवार सं. माता श्रीमती चोदी पत्नी बालू भील निवासी भीलीखेडा
5. श्री रोमा ड० श्री बालू भील
6. श्री पारी ड० श्री बालू भील
7. श्री मानी ड० श्री बालू भील
8. श्री गणपतलाल ड० श्री सौख्यलाल भील निवासी - भीलीखेडा तहसील - मांडल
9. राजस्थान राज्य परिवार तहसील शा. मांडल तहसील - मांडल

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 53 मुकदमा नं०/वर्ष 44/21 निर्णय दिनांक 04-01-22

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी

मिनजानिव मुददई व श्री प्रदीपकुमार व्यास Advt मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुकम

दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि वकील वादी का वाद पत्र स्वीकार किया

जाकर डिक्री बल्स वादी विक्रम प्रतिवादी से 1 लगायत 8 मे इस आशय
की जारी की जाती है कि गाम मेजा परिवार हल्का मेजा तहसील - मांडल

मे स्थित निम्नांकित आराजियात वादी एव प्रतिवादी से 01 लगायत 08 के नाम
राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। उसी अनुसार
भूमि वादी एव प्रतिवादी से 1 लगायत 8 के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड
मे दर्ज की जावे।

श्री गिरधारी ड० श्री रामा भील निवासी - नारायणपुरा मेन रोड सुरास त० मांडल

आराजी नं: 2793/1019

रकबा 0.2150 हेक्टर

— निरन्तर —>

आज तारीख 04-01-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा